न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम न. 2024/52
मुकदमा नम्बर 17/2024 दायर दिनांक–24.01.2024

श्रीमती श्योपाली पत्नी बालचन्द सैनी निवासी गोमजी की ढाणी, झाझड़,तहसील नवलगढ ,जिला झुझुंनू

वनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

दावा – घोषणार्थ,रिकार्ड दुरूस्ती

प्रतिनिधत्वः–

वकील वादी– श्री विजेन्द्र सिह जाखड
प्रतिवादी – पैरो. राज.

–:निर्णयः–

निर्णय दिनांक 30.04.2024

वाद वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम भैरूबास पटवार हल्का झाझड में कृषि भूमि खसरा नं. 671,672, 675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,690,691,692,693, कुल किता 21 कुल रकबा 5.62 है0 के राजस्व रिकार्ड में वादीनी के पति का नाम भागचन्द के स्थान पर बाल चन्द सैनी दुरूस्त किया जावे।

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई। प्रतिवादी तहसीलदार नवलगढ़ कि और जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट कमांक/भू.अ./1135 दिनांक 5/4/2024 पेश की गई। जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में श्योपाली देवी पत्नी भागचन्द के स्थान पर श्योपाली देवी पत्नी बालचन्द किया जाना उचित है।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद मे प्रस्तुत दस्तावेजो तथा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

"आदेश"

लिहाजा वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम भैरूबास पटवार हल्का झाझड में कृषि भूमि खसरा नं. 671,672,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685 ,686,687,688,690,691,692,693, कुल किता 21 कुल रकबा 5.62 है0 के राजस्व रिकार्ड में वादीनी के पति का नाम भागचन्द के स्थान पर बाल चन्द सैनी दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ़ निर्णय/आदेश अनुसार आवश्यक रिकार्ड दुरूस्ती व अमलदरामद कर पालना सुनिश्चत करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें। निर्णय आज दिनांक 30/04/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर, खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned with CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2024/52

मुकदमा नम्बर 17/2024

(श्योपाली बनाम लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू)

दावा – घोषणार्थ,रिकार्ड दुरूस्ती

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम भैरूवास पटवार हल्का झाझड में कृषि भूमि खसरा नं. 671,672,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685 ,686,687,688,690,691,692,693, कुल किता 21 कुल रकबा 5.62 है0 के राजस्व रिकार्ड में वादीनी के पति का नाम भागचन्द के स्थान पर बाल चन्द सैनी दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ़ निर्णय/आदेश अनुसार आवश्यक रिकार्ड दुरूस्ती व अमलदरामद कर पालना सुनिश्चत करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

जन...........–............... मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–............ फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 30 माह 04 सन 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned with CamScanner